श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2011 को आहूत आपूर्त्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

(1) उपस्थिति :– यथा उपस्थिति पंजी।

(2) कूपन वितरण :– सभी प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रो में राशन/किरासन कूपन का अंतिम वितरण का योजनावार प्रतिशत निम्नवत है :–

क0	प्रखंड/शहरी क्षेत्र का नाम	अन्त्योदय अन्य योजना	बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0 किरासन तेल	बी0पी0एल0 लाल कार्डधारी (खाद्यान्न हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सदर, मुंगेर	98.99%	97.74%	99.22%	
2.	जमालपुर	97.82%	98.45%	98.47%	
3.	धरहरा	99.72%	98.88%	99.01%	
4.	बरियारपुर	96.01%	94.70%	94.34%	
5.	खड़गपुर	98.52%	97.54%	98.37%	
6.	टेटियाबम्बर	99.80%	99.87%	99.81%	
7.	असरगंज	98.15%	95.20%	98.42%	
8.	तारापुर	99.10%	99.40%	99.50%	
9.	संग्रामपुर	98.70%	98.52%	98.94%	
10.	नगर निगम, मुंगेर	86.97%	83.30%	82.31%	
11.	नगर परिषद, जमालपुर	96.06%	97.79%	96.95%	
12.	नगर पंचायत, खड़गपुर	99.35%	98.93%	99.20%	
	कुल प्रतिशतः–	96.84%	95.02%	96.13%	

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित कर लें कि अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी वापस कार्यालय में जमा कर ली गई है।

(2) कूपन की स्कैनिंग :– कूपन स्कैनिंग समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुलाई–11 का कूपन वसुधा केन्द्र के कार्यरत VLEs को उपलब्ध करा दिया गया है। अगस्त–11 का कूछेक प्रखंड को छोड़कर उपलब्ध नहीं कराया गया है। कूपन स्कैनिग का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी पूर्ण समीक्षा नहीं हो पायी।

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक एवं वसुधा केन्द्र के VLEs को निदेश दिया गया कि किये गये कूपन स्कैनिंग का कम्प्यूटर से प्रिंट निकाल कर बैठक में लाना सुनिश्चित करेगें तथा मासिक प्रतिवेदन के साथ कूपन स्कैनिंग का प्रतिवेदन भी निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(3) खाद्यान्न उठाव/वितरण :– जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि अगस्त–2011 का खाद्यान्न तथा चावल उत्सव के खाद्यान्न का उठाव हो गया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि FCI के गोदाम में गेहूँ के अनुपात में चावल उपलब्ध नहीं है।

इन्हें निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को गेहूँ एवं चावल अलग–अलग उपलब्ध नहीं कराया जाना है। गेहूँ एवं चावल एक साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाए।

सहायक गोदाम प्रबंधक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से प्रत्येक माह में रोस्टर तैयार करें एवं रोस्टर के अनुरूप खाद्यान्न का उठाव करना सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान रखें कि एक सप्ताह में सामान्यतः तीन दिन से ज्यादा उठाव न हो ताकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण उठाव के उपरान्त किया जा सके।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करेगें कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा

खाद्यान्न का उठाव उनके देख–रेख में हो तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभुकों के बीच शत–प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण हो। यह भी निदेश दिया गया कि वे सारा RTGS/Pay-in-Slip के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा शत प्रतिशत राशि जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि सभी लाभुक परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया।

(4) मंडार निर्गमादेश (S.I.O.) :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में S.I.O. कम्प्यूटर से निर्गत किया जाना है। इसके लिये इनके द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बैंक खाता पासबुक के सत्यापित छाया प्रति की मांग की गई है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के पासबुक की छायाप्रति प्राप्त कर इसे सत्यापित कर जिला प्रबंधक को अविलंब उपलब्ध करा दें। जिस जन वितरण प्रणाली विक्रेता को बैंक से खाता नहीं मिला हो, वैसे खाताधारी के बैंक स्टेटमेन्ट जिसमें नाम/खाता नं0 स्पष्ट अंकित हो की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि वे कम्प्यूटर से कम से कम 10 विक्रेता का S.I.O. निकालकर 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को दिखावें।

(5) किरासन तेल :– किरासन तेल की समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा बताया गया कि तारापुर के थोक किरासन तेल विक्रेता द्वारा खड़गपुर पेट्रोल पम्प के समीप टैंकर लाकर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है।

अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर को निदेश दिया गया कि पेट्रोल पम्प के नजदीक किरासन तेल का टैंकर नहीं लगावे। पेट्रोल पम्प से 100–150 मीटर दूर किरासन तेल का टैंकर लगाकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता को तेल आपूर्ति कराया जाए।

(क) नोजल सिस्टम :– विभागीय पत्रांक 5821 दिनांक 28.06.11 द्वारा किरासन तेल थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में नोजल सिस्टम लगाने का निदेश दिया गया है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 568 दिनांक 07.07.11 एवं ज्ञापांक 732 दिनांक 02.09.11 द्वारा सभी थोक किरासन तेल विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान में नोजल सिस्टम लगाने का निदेश दिया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया गया कि जो थोक विक्रेता ड्रम में तेल रखते है, उनका अपना ड्रम होना चाहिए न कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता का।

(6) निगरानी समिति :– विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के शुक्रवार को प्रत्येक पंचायत/वार्ड में निगरानी समिति की बैठक की जानी है। परन्तु नियमित रूप से बैठक नहीं हो पा रही है। अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव में बहुत सारे नये प्रतिनिधि चुन कर आए है। इस लिये नये सिरे से निगरानी समिति का गठन किया गया है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्येक पंचायत/वार्ड में निगरानी समिति का नियमित रूप से बैठक कराना सुनिश्चित करें तथा बैठक की सूचना एवं कार्यवाही की प्रति भेजवाना सुनिश्चित करें।

(7) खाद्यान्न की गणवत्ता :– प्रायः ऐसी सूचना मिलती है कि लाभुकों के बीच जो खाद्यान्न वितरित की जाती है, इसकी गणवत्ता अच्छी नहीं होती है।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि FCI से खाद्यान्न उठाव के समय सैम्पलिंग जॉच कर ले एवं 100 ग्राम के डिब्बा में सैम्पल प्राप्त कर अपने कार्यालय में रखें। किसी भी परिस्थिति में खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न उठाव नहीं करे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह० –
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

C:\Users\Dell\Desktop\New Briefcase\supply office\proceeding Monthly [illegible]

ज्ञापांक......................../जि0आ0,दिनांक........................

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक......778....../जि0आ0,दिनांक...19.09.2011

प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/09/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।